

## विचार बिन्दु

हर चीज़ बदलती है, नष्ट कोई चीज़ नहीं होती।—अरविन्द घोस

## अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजना न केवल अवैध था अपितु अमानवीय भी तथा इस बाबत धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 असंवैधानिक है

अमरीका में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है जो अवैध रूप से घुसते हैं और बीजा नियमों की अवज्ञा करते हैं, अथवा ऐसे लोग हैं जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं, किन्तु बीजा की मियाद के बाद रूकते हैं तथा जो पेरॉल की अवधि के बाद जेल नहीं लातते व ऐसे लोग हैं जिसका कानून के अनुसार अधिकार था, किन्तु दस्तावेजात का नवीनीकरण उन्होंने नहीं कराया। लगभग सभी देशों में यही नियम है। अवैध भारतीय प्रवासियों को उनके देश भारत भेजना डिपोट करना कठिन है। अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रम्प ने शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त सामूहिक निर्वासन की घोषणा की है और उन्हें एक अमेरिकी सैन्य सी-17 विमान से 104 भारतीयों को भारत भेजा है, यह विमान अमृतसर उतरा है। इनके हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़ी थी, मानो वे गुलाम हों, उन्हें भूखा प्यासा भी रखा गया। उन्हें इस प्रकार भेजा जावेगा इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं दी गई। प्रत्येक देश अपने नागरिकों को वापिस लाता है। भारत अपने लोगों को वापिस लाता रहा है। अमेरिका में 17940 भारतीय हैं, जिनके पास रहने के कोई डोक्यूमेंट्स नहीं हैं। गत वर्ष 1529 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापिस भेजा था। भारत में भी चुपचाप ये बहुत हैं, जिन्हें निर्वासित किया जाना है।

एजेन्ट घोष्ये से इन्हें सही रास्ते से नहीं अपितु 'डक्री कर्ट' से भी ले जाते हैं। यात्रा में पहाड़ी भूमि और समुद्र तक आते हैं रास्ते विकट होते हैं। डिपोट भारतीयों ने आरोप लगाये कि अमेरिका में उनके साथ कैदियों से भी खराब व्यवहार किया जाता है। इन्हें सैन्य विभाग में भी बहुत कष्ट दिये गये। अमानवीय व्यवहार किया गया।

अमरीका से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी बांध कर भेजने पर दोनों सदनों में सरकार को घेरा और विदेश मंत्री जयशंकर को जबाब देने को बाध्य किया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि अमरीका का अवैध भारतीय प्रवासियों की निर्वासित करने की प्रक्रिया नई बात नहीं है, यह अमरीका के नियमों के अनुसार है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सभी देशों का कर्तव्य है कि उनके नागरिकों को वह अपने यहां लें। भारत सरकार कह चुकी है कि अवैध प्रवासियों को पहचान करने और उन्हें वापिस लेने के लिये ट्रम्प प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित किया जावे। डिपोट करने के लिये मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हिरासत के तहत बूनियादी अधिकारों का उल्लंघन न हो। संसद में इस संबंध में गम्भीर बहस हुई थी और संसदों ने यहां तक कहा कि पीएम मोदी ट्रम्प के अच्छे दोस्त हैं उन्होंने फिर ऐसा व्यवहार क्यों होने दिया? देश को ऐसे लोगों को अपने जहाज से लाना चाहिये था। प्रतिपक्ष के नेतृ ने कहा प्रधानमंत्री को इन लोगों का दर्द सुनना चाहिये। 40 घंटों तक हथकड़ी व बेड़ी में बंधे रहने की वेदना अवर्णनीय है। इस प्रकार की घटनाएँ उप-निवेशक काल की याद को ताजा करती हैं।

हथकड़ी लगाने का प्रचलन लगभग 400 बीसी का है। उस समय युद्ध के बंधियों को कन्दोल किया जाता था। वर्तमान समय में हथकड़ी का उपयोग 1912 से किया जाने लगा, जब पुलिस स्टेशन से जेल, कैदियों को ले जाया जाता था या कोर्ट ले जाया जाता था और वापिस लाया जाता था। ब्रिटेन के शासन के समय उपनिवेशवादी सरकार स्वतंत्रता सैनानियों को हथकड़ी व बेड़ियों में इसलिये बांधकर रखती थी कि कहीं वे भागकर पुनः स्वतंत्रता आंदोलन में न जुड़ जावें। आजादी से पूर्व पुलिस एक्ट 1861 की धारा 12 में इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को अधिकार दिये गये थे कि वे इस बाबत नियम बना सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस रेगुलेशन बंगाल 1943 पारित किया और उसमें यह व्यवस्था दी गई कि हथकड़ी का प्रयोग केवल बहुत अधिक आवश्यक परिस्थितियों में ही होगा, तथा महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई जावेगी। मानव अधिकारों की घोषणा के बाद से यह माना गया कि मानव की गरिमा अक्षुण्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अतः हथकड़ी लगाना अभद्र तरीका है, किन्तु पुलिस फिर भी अपनी शक्ति के घमण्ड में हथकड़ी का प्रयोग करती रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से स्पष्ट निर्देश दिया कि सामान्यतः हथकड़ी कैदी के नहीं लगाई जावेगी, क्योंकि ऐसा करना अमानवीय है तथा नारकीय कृत्य है। यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने हथकड़ी लगाने से मानव को मुक्त कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि सब मानव समान हैं, स्वतंत्र हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित है और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।



राजेश भूखर

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी और तालिबान के पुनर्जन्म से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के साथ इस क्षेत्र का भू-राजनीतिक परिदृश्य अत्यधिक अप्रत्याशित परिवर्तन से गुजर रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में उथल-पुथल देखी जा रही है क्योंकि भारत एक तरफ अस्थिर बांग्लादेश से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने बदलते रिश्तों की गतिशीलता के अप्रत्याशित परिणामों से जूझ रहा है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध, जो कभी साझा इतिहास और आपसी हितों में निहित था, अब एक चिंताजनक स्तर तक बिगड़ गया है और तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी था, अब कई मोर्चों पर एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में बदल गया है। इस संबंध में गहरा बदलाव केवल तनावपूर्ण संबंधों का मामला नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण विकसित संघर्ष का आकार ले चुका है जिसमें सैन्य संघर्ष और ड्रग्स रेखा पर बढ़ती तनाव शामिल है।

अफगानिस्तान में तालिबान का उदय पाकिस्तान के ऐतिहासिक रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने शुरू में संयुक्त राज्य

अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को हथियार देने और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में अमेरिका और नाटो बलों का विरोध करने के लिए लॉजिस्टिक, सामग्री और नैतिक सहायता प्रदान की थी। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, अफगान-पाक घुरी के लिए कथित जित का क्षण से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद थी, लेकिन आश्रयजनक रूप से पाकिस्तान के लिए स्थिति उलट गई। तालिबान की सत्ता में वापसी ने क्षेत्रीय समीकरण को बदल दिया है। तालिबान ने अब आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना दर्शाते हुए पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में ड्रग्स रेखा को खारिज कर दो पुराने सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है।

अफगानिस्तान से संचालित हो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान के समर्थन में पहले से ही कमजोर पाक-अफगान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। वैचारिक मतभेदों और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ तालिबान के सहयोग की कमी के कारण आपसी विश्वास टूट गया है। वैश्विक इस्लामी आंदोलन का नेतृत्व करने की तालिबान की महत्वाकांक्षा और सीमाओं से परे अपने प्रभाव विस्तार में पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा में संरिखित कर तनाव को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ तालिबान के संबंध आश्रयजनक तरीके से विकसित हुए हैं, जिससे इस्लामाबाद में कई भीड़ें तन गई हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान का उदय पाकिस्तान के ऐतिहासिक रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को हथियार देने और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में अमेरिका और नाटो बलों का विरोध करने के लिए लॉजिस्टिक, सामग्री और नैतिक सहायता प्रदान की थी। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, अफगान-पाक घुरी के लिए कथित जित का क्षण से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद थी, लेकिन आश्रयजनक रूप से पाकिस्तान के लिए स्थिति उलट गई। तालिबान की सत्ता में वापसी ने क्षेत्रीय समीकरण को बदल दिया है। तालिबान ने अब आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना दर्शाते हुए पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में ड्रग्स रेखा को खारिज कर दो पुराने सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है।

## पांचवी बोर्ड अभ्यर्थियों का चार किलोमीटर के क्षेत्र में ही होगा परीक्षा सेंटर

## शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किये, 33 जिलों के आधार पर होगी मुख्य परीक्षा

बोकारनेर, (निर्स)। शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों की पांचवी बोर्ड परीक्षा राज्य में 33 जिलों के डाइट के आधार पर कराई जाएगी। 5वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सदस्य जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित डाइट प्राचार्य होंगे। वहीं, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 6 सदस्य ही ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

संबंधित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इस समिति का सदस्य सचिव होंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को अधिकतम चार किलोमीटर की दूरी तक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र में बदलाव करना हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा के बाद जिला नोडल अधिकारी के जरिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राज्यपाल बोकारनेर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही केंद्र में बदलाव हो सकेगा।

5वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सदस्य जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी

- परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बोकारनेर ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में दूसरी बार बढ़ाती की है। परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी। लेकिन निर्धारित तिथि तक आठवीं में करीब 10 हजार और 5वीं में 25 हजार अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए।

## सहायक अध्यापक अब मानदेय से वंचित नहीं रहेंगे, निर्देश जारी

बोकारनेर, (निर्स)। राज्य के महात्मा गांधी इंशुला में 14 फरवरी को 2022 के तहत लेवल वन और लेवल सैकंड के पदों पर सिंडा पर कार्यरत सहायक अध्यापक अब मानदेय से वंचित नहीं रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निर्देशक गोपाल राम बिड़डा ने इस

महात्मा गांधी अग्रेजी स्कूलों में सिंडा पर नियुक्त हैं अध्यापक

संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त निर्देशक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी सिंडा सहायक अध्यापक नियमों

## "जल ग्रहण यात्रा" का आयोजन 15 फरवरी से

भीलवाड़ा, (निर्स)। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जलग्रहण विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भीलवाड़ा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में "जल ग्रहण यात्रा 2025" का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जल ग्रहण घटक) के तहत 15 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से विभिन्न ग्राम पंचायतों और सामुदायिक स्थलों पर आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस यात्रा में सक्रिय भाग लें और जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाएं। निर्देशक जिला प्रशासन एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करना और चारागाह विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

## राशिफल शुक्रवार 14 फरवरी, 2025

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:09 तक, अतिगंड योग प्रातः 7:10 तक, तैतिल करण प्रातः 9:07 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रातः 5:44 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सेन्ट वेलेन्टाइन दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:31 तक, लाभ-अमृत 8:31 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:04 तक, चर 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 6:14

**मेघ**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आज परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

**सिंह**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज धन हानि का पथ है। नौकरियों/आयों के उन्वाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

**धनु**  
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक बातों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

**वृष**  
चर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपसी मतभेद समाप्त हो सकती है। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

**कन्या**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आज संभावित खोले से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

**मकर**  
शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक बातें सफल होंगी।

**मिथुन**  
चर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक-मौलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आज परिवार में अतिथियों का आमगमन बना रहेगा।

**तुला**  
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरियों/आयों के भागदौड़ रहेगी। आज अर्नाल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

**कुंभ**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बतते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

**कर्क**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

**वृश्चिक**  
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्थव जैसा माहौल रहेगा।

**मीन**  
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।